बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 26/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला उद्यान कार्यालय, सुपौल

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखावधि – वर्ष 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कृषि विभाग।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम,पदनाम एवं कार्यकाल :– संयुक्त कृषि निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा श्री लक्ष्मी साहू (30.8.09 से 31.3.10 तक)

(ड़) अंकेक्षणाधीन अवधि के प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम तथा कार्यकाल –

(क) जिला उद्यान पदाधिकारी

1. श्री महेश प्र0 सिंह कार्यालय अस्तित्व में आने के बाद दि0 30.8.09 से 6.10.09 तक।
2. श्री इनामुलहक ओहिद्धीन दि0– 7.10.09 से अद्यतन।

(ख) नाजीर — 1. श्री सुन्दरकान्त झा दि0 30.8.09 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम :– 1. श्री सुन्दर कान्त झा– नाजीर

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :–

1. श्री सत्य नारायण मंडल वरीय अंकेक्षक –1
2. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव वरीय अंकेक्षक– 2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – दि0 15.6.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 22.6.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 2 $\frac{1}{1}$ कार्य दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' द्रष्टव्य।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(1) वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक–3286 दिनांक 16.9.1960 एवं मु0 ले0 नि0 वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 12 दि0 03.03.2011 में निहित अनुदेशों के आधार पर इस कार्यालय के लेखा वर्ष 2009–10 का सामान्य अंकेक्षण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस कार्यालय को बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा विभाग से राशि प्राप्त हुई थी एवं कोषागार से कोई निकासी एवं जमा नही की गई थी। अतएव कोषागार सत्यापन की आवश्यकता नही पड़ी।

(2) पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का निराकरण :–

इस कार्यालय की स्थापना दिनांक 30.8.2009 से हुई थी। अंकेक्षणावधि वर्ष 2009–10 होने के कारण इस कार्यालय का यह प्रथम अंकेक्षण था। अतएव पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का निराकरण का प्रश्न नही था।

(ड़) वित्तीय समीक्षा –

(1) इस कार्यालय के लेखा वर्ष 2009–10 से संबंधित आय– व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। इस कार्यालय को आय का श्रोत विभागीय बैंक ड्राफ्ट/चेक एवं बैंक द्वारा दी जानी वाली सूद की राशि पायी गयी। आवंटन के माध्यम से कोषागार से किसी प्रकार की निकासी नही की हुई पायी गई। आय एवं व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत किसी भी मद में कोई भी व्यय नही किया गया था।

(2) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 509 दिनांक 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 15.6.2011 के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष (बैंक में जमा) का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण के समक्ष व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा कराया गया। सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया गया था, जबकि विभिन्न मदों में संधारित संबंधित सहायक रोकड़ पुस्तों का संवरण शेष से बैंक लेखाओं में पायी गई जमा राशि का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	मद का नाम	सहायक रोकड़ पुस्त का संवरण शेष	बैंक लेखा में जमा राशि	बैंक/लेखा सं0
1	जिला बागवानी समिति बागवानी मिशन	5854872.00	5854872.00	एस0 बी0 आई0 कृषि विकास बैंक सुपौल बचत खाता सं0– 30214044759
2	सूक्ष्म सिंचाई मद	5618534.00	5618534.00	एस0 बी0 आई0 सुपौल बचत खाता सं0 – 01100050247
3	जिला बम्बो विकास एजेन्सी सुपौल	990785.00	991085.00	1 एस0 बी0 आई0 सुपौल बचत खाता सं0 – 96929 में रू0 434996.00 2 पंजाब नेशनल बैंक सुपौल बचत खाता सं0 – 73191 में– 556089.0
	कुल –	12464191.00	12464491.00	991085.00

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि जिला बम्बो विकास एजेन्सी सुपौल सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण शेष से बैकों में रू0 300.00 (रू0 991085– रू0 990758) अधिक जमा था। उक्त अन्तर राशि इस कार्यालय की स्थापना (दि0 30.8.2009) के प्रारम्भ में अनुमंडल कृषि कार्यालय सुपौल द्वारा इस कार्यालय को स्थानान्तरित मद एवं बैंक लेखा से ही

आ रहा था। अतः उपरोक्त बैंक लेखा में अधिक जमा राशि रू0 300.00 को सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दर्ज करते हुए सुधार कर लिया जाय, अन्यथा भविष्य में उक्त राशि की निकासी कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना बनी रहेगी।

(3) अंकेक्षणावधि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ एवं अन्त में रोकड़ के संवरण शेष की स्थिति :–

इस कार्यालय द्वारा सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया गया था। अंकेक्षणावधि के मदवार सहायक रोकड़ पुस्तों का प्रारम्भण शेष एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में संवरण शेष निम्न रूपेण पाया गया–

क्र0	मद का नाम	प्रारम्भण शेष (दिनांक 30.8.09 कार्या0 स्थापना तिथि)	दिनांक 31.3.2010 का संवरण शेष
1	जिला बागवानी समिति बागवानी मिशन	10470861.00	11539611.00
2	सूक्ष्म सिंचाई मद	5151097.00	5151097.00
3	जिला बम्बो विकास एजेन्सी	2816485.00	2901608.00
	कुल योग–	18438443.00	19592316.00

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रोकड़ की एक बहुत बड़ी राशि रू0 19592316.00 वित्तीय वर्ष के अन्त तक पड़ी हुई थी, जो बिहार कोषागार नियमावली के नियम 300 के अनुसार वित्तीय अनियमितता तो है ही इससे गबन/दुर्विनियोग जैसी संभावनाएँ सदैव बनी रहती है। मुख्य सचिव बिहार, पटना के ज्ञापांक–1602 दिनांक 31.3.1982 एवं समय– समय पर सभी विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सूचित किया गया था कि व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों द्वारा लम्बी अवधि तक अनावश्यक रूप से बड़ी राशि संवरण शेष के रूप में रखी जाती है। ऐसे पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कारवाई की जायेगी। फिर भी उपरोक्त नियमों एवं सरकारी आदेशों के विपरीत रोकड़ की एक बड़ी राशि संवरण शेष में रखी गई। भविष्य में इसकी पुनरावृति रोकने हेतु विभागीय उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ढ़) स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल –

इस कार्यालय की स्थापना दिनांक 30.8.2009 से प्रारम्भ हुई थी। स्थापना काल से अद्यतन इस कार्यालय के लिए पदाधिकारी एवं कर्मियों का पद स्वीकृत नही पाया गया, जबकि जिला उद्यान पदाधिकारी एवं रोकड़ पाल के रूप में मात्र दो कर्मी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पाये गये, जिसका वेतनादि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नही किया गया था।

(ण) लक्ष्य एवं उपलब्धि :–

इस कार्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्धेश्य जहाँ एक ओर बागवानी मिशन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना था, वही दूसरी ओर ग्रामीण किसानों को बागवानी विकास, बम्बों विकास एवं छोटी–छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा स्थानीय जरूरतों की पूर्त्ति के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति को समुन्नत बनाना था जिसके लिए विभाग द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा राशियाँ, इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई थी, किन्तु अपने स्थापना काल (दि0 30.8.2010) से अंकेक्षणावधि (वर्ष 09–10) में कोई व्यय नही (परिशिष्ट ''ख'' द्रष्टव्य) किया जाना, यह दर्शाता है कि लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि शून्य थी, जो गंभीर चिन्ता का विषय है। विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आवश्यक कारवाई स्वरूप दिशा निर्देश हेतु आकृष्ट किया जाता है।

भाग– 1 (शून्य) एवं भाग–2 (शून्य)

भाग–3

(2) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया जाना :–

बिहार कोषागार नियमावली भाग–1 के नियम 86(iv) के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ के संवरण शेष का विस्तृत विवरण यथा– मदवार एवं बैंक वार रोकड़ पुस्त में अंकित कराया जाना चाहिए एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन कर उसके सही होने का आशय अंकित करना चाहिए, किन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में ऐसा एक बार भी नही अंकित पाया गया। इससे गबन/दुर्विनियोग की आंशका बनी रहती है। भविष्य में उक्त नियम का पालन करने का सुझाव दिया जाता है।

(3) सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया जाना :–

इस कार्यालय में मदवार अलग–अलग तीन सहायक रोकड़ पुस्त यथा बागवानी मिशन सहायक रोकड़ पुस्त, बम्बो विकास सहायक रोकड़ पुस्त एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना सहायक रोकड़ पुस्त का संधारण किया हुआ पाया गया। प्रतिदिन रोकड़ के संवरण शेष एवं आय– व्यय के नियंत्रण हेतु एक सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण किया जाना चाहिए, जिसमें रोकड़ के संवरण शेष का मदवार एवं बैंकवार विवरण अंकित किये जाने से रोकड़ पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नियंत्रण बना रहता है, किन्तु ऐसा नही पाया गया। भविष्य में सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण करने का सुझाव दिया जाता है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2)

“ NISHU”

परिशिष्ट “क” अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका (1–ट) से संबंधित :–
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– वर्ष 09–10

<u>(क) प्रस्तुत अभिलेख :– वर्ष 09–10</u>

1. सहायक रोकड़ पुस्त जिला बागवानी विकास समिति बागवानी मिशन
2. सहायक रोकड़ पुस्त जिला बम्बो विकास एजेन्सी सुपौल
3. सहायक रोकड़ पुस्त सूक्ष्म सिंचाई मद
4. एस0 बी0 आई सुपौल बचत खाता सं0 – 30303896929
5. पंजाब नेशन बैंक सुपौल बचत खाता सं0 – 73191
6. एस0 बी0 आई सुपौल बचत खाता सं0 – <u>01100050247</u>
   11114397701
7. एस0 बी0 आई0 कृषि विकास बैंक
   बचत खाता सं0 – 30214044759
8. बैंक ड्राफ्ट/चेक पंजी

<u>(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–</u>

1. योजना पंजी
2. अन्य

परिशिष्ट "ख" अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 1(ड) से संबंधित

आय –व्यय विवरणी वर्ष 2009–10

क्र0	मद का नाम	दिनांक 1.4.09 का प्रारभ्भण शेष	बैंक ड्राफ्ट /चेक से प्राप्त राशि	बैंक पासबुक से प्राप्त सूद की राशि	योग	व्यय	दिनांक 31.3.10 को रोकड़ पुस्त का संवरण शेष	अभ्युक्ति
1	जिला बागवानी विकास समिति, बागवानी मिशन मद	10470861.00	1068750.00	–	11539611.00	शून्य	115339611.00	
2	जिला बम्बो विकास एजेन्सी मद	2816485.00	–	85123.00	2901608.00	शून्य	2901608.00	
3	सूक्ष्म सिंचाई मद	5151097.00	–	–	5151097.00	शून्य	5151097.00	
	योग–	18438443.00	1068750.00	85123.00	19592316.00	कुल	19592316.00	